

राष्ट्रीय
15/4/2021

संख्या-8/5/एक-11-2021

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक 17 अप्रैल, 2021

विषय:- जनपद स्तर पर स्थापित एकीकृत आपदा नियंत्रण कक्ष पर प्राप्त शिकायतों को समुचित रूप से सुनने एवं उसके निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-247/एक-11-2020 दिनांक 09.04.2020 द्वारा कोविड-19 महामारी के नियंत्रण एवं राहत हेतु समन्वय/पर्यवेक्षण के लिए जनपद स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं तथा इस सम्बन्ध में एसओपी भी निर्गत की गयी है।

2- पुनः शासन के आदेश संख्या-266/एक-11-2021 दिनांक 26 मार्च, 2021 द्वारा कोविड-19 महामारी की संकामकता में हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

- (1) पूर्व में जनपद स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्षों को पूर्ववत् क्रियाशील करते हुए पालीवार अधिकारियों को नियंत्रण कक्ष का इन्चार्ज बनाया जाय।
- (2) नियंत्रण कक्ष में समुचित समन्वय स्थापित करने हेतु विभिन्न विभागों के कार्मिकों को आवश्यकतानुसार सम्बद्ध किया जाय।
- (3) नियंत्रण कक्ष को राहत आयुक्त कार्यालय में स्थापित एकीकृत आपदा नियंत्रण केन्द्र से सतत रूप से संयोजित रखा जाय।
- (4) जनपद/मण्डल स्तर स्थापित नियंत्रण कक्ष से राहत आयुक्त के एकीकृत आपदा नियंत्रण केन्द्र को सूचनाएं प्रेषण करने हेतु निम्न वर्णित माध्यमों का उपयोग किया जाय।

1-ई-मेल आईडी0 - rahat@nic.in

2-वाट्सऐप नम्बर - 9454411036

3-ट्विटर हैंडल - rahat_up

3- उल्लेखनीय है कि जनपदों से प्राप्त फीडबैक से यह ज्ञात हो रहा है कि एकीकृत कंट्रोल कमाण्ड सेण्टर से मात्र स्वास्थ्य विभाग से संबंधित/कोविड रेस्पॉन्सिव कार्य ही सम्पादित किया जा रहा है एवं राहत इमरजेंसी ऑपरेशन हेतु अलग से सेण्टर स्थापित किया गया है इस स्थिति में राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश

संख्या-309/1-11-2021-198/2020 दिनांक-15.04.2021, जिसके द्वारा कोविड-19 महामारी के द्वितीय लहर के दृष्टिगत प्रवासी मजदूरों/श्रमिकों/कामगारों व अन्य व्यक्तियों के प्रदेश में आगमन पर जनपदों में नये अस्थायी आश्रय स्थल/क्वार्टाइन/स्क्रीनिंग कैम्प स्थापित किये जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं, के बिन्दु संख्या-14 में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि एकीकृत कंट्रोल कमाण्ड सेण्टर में मेडिकल एवं राहत सम्बन्धी समस्त सूचनाएं एकत्र किया जाना है। जिन जनपदों में दोनों कंट्रोल सेण्टर अलग-अलग स्थापित किया गया है, उसे तत्काल मर्ज करते हुए एक ही एकीकृत कंट्रोल कमाण्ड सेण्टर जनपद में स्थापित किये जाएं जिससे सूचना सुगमता से एकत्र हो सके तथा शीघ्र इसको इमरजेंसी ऑपरेशन सेण्टर के रूप में स्थायी रूप में विकसित किया जा सके।

4- अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया यह सुनिश्चित करें कि जनपद में एकीकृत कोविड कंट्रोल सेण्टर एवं राहत इमरजेंसी सेण्टर दोनों समेकित रूप से एक ही साथ संचालित किये जाय जिससे कि सूचनाओं एवं कोविड नियंत्रण के कार्य को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,
17/4/21
(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।
BV

संख्या व दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. राजस्व अनुभाग-10
8. गार्ड फाइल।

17/4/21

आज्ञा से,

(घनश्याम चतुर्वेदी)
अनु सचिव।